

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग-2
संख्या: 1086/XXX (2) 2010
देहरादून:दिनांक 27 दिसम्बर, 2010

कार्यालय-ज्ञाप

कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 23/1/70-नियुक्ति(ख), दिनांक 07 अगस्त, 1970 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णयानुसार श्री राज्यपाल मिनिस्टीरियल संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित पद घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त पद को राजपत्रित घोषित करने के फलस्वरूप वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को वर्तमान में अनुमन्य वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा।




(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या: /XXX (2) 2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कमायूं।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।


(अरविन्द सिंह ह्यॉकी)
अपर सचिव